ન્યાયાલય ઉપ ખંડ અધિકારી કોટકાસીમ (અલવર) રાજ૦
પીઠાસીન અધિકારી - શ્રી વિશ્વામિત્ર મીના R.A.S

મુકદમા સં.	દાયરા દિનાંક	નિર્ણય દિનાંક
04/12	30.1.2012	16.10.2017

અનુદાન

[1] દંગલ પુત્ર ડાયનારાયણ જાતિ જાટ નિવાસી કોટકાસીમ જીલા અલવર (રાજ૦) - પ્રાર્થી

બનામ

[1] રોશનલાલ પુત્ર રામપ્રસાદ જાતિ જાટ નિવાસી બુડીબાવળ
[2] સંદીપ કુમાર પુત્ર જગરામ જાતિ અહીર નિવાસી આકોલી
[3] સંતોષ દેવી પત્નિ કોજુરામ જાતિ અહીર નિવાસી બેરાવાસકલાં
[4] અનારકલી પત્નિ મંગારામબાબા જાતિ પાળગાડ઼િયા નિવાસી કોટકાસીમ
[5] સુશીલા દેવી પત્નિ મદનપાલ જાતિ મહાજન નિવાસી ખૈરથલ મંડી તહસીલ કિશનગઢ-બાસ (અલવર) રાજ૦
[6] રામસ્વરૂપ પુત્ર બિહારીલાલ
[7] મુકુટ કુમાર પુત્ર ગ્યારસીરામ જાતિ અહીર નિવાસી આકોલી
[8] રાજોસિંહ પુત્ર પ્રભાતીલાલ જાતિ જાટ
[9] યોગેશ કુમાર
[10] કૃષ્ણ કુમાર પુત્રાન રૂપચન્દ જાતિ જાટ નિવાસી કોટકાસીમ
[11] સુખવીર પુત્ર જગરામ જાતિ અહીર નિવાસી આકોલી
[12] બનારસીદાસ
[13] ચતુરેશ પુત્રાન કાંશીરામ જાતિ મહાજન નિવાસી કોટકાસીમ તહસીલ કોટકાસીમ જીલા અલવર (રાજ૦)
[14] સ્નેહયાદવ પત્નિ વિરેન્દ્રસિંહ જાતિ અહીર નિવાસી ચાન્દપુર તહસીલ મુણ્ડાવર જીલા અલવર
[15] સુષમા પત્નિ આદર્શરાવ જાતિ અહીર નિવાસી ચૌકી
[16] ગુમાનસિંહ પુત્ર ગુલાબસિંહ જાતિ રાયસિક્ખ
[17] સતેન્દ્રસિંહ પુત્ર સુખવીર જાતિ જાટ નિવાસી કોટકાસીમ તહ૦ કોટકાસીમ
[18] ખેમચન્દ પુત્ર મોતીરામ જાતિ ચમાર નિવાસી જાસાઈ તહસીલ મુણ્ડાવર જીલા અલવર (રાજ૦)

લગાતાર

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[19] हेतूराम

[20] मुन्शीराम

[21] लालचन्द पुत्रान शीतला [22] विद्यादेवी पुत्री शीतला

[23] मन्नीदेवी पत्नि शीतला जाति चमार निवासी कोटकासिम

[24] मुन्शीराम

[25] शीशराम पुत्रान मंगलराम जाति जाट निवासी कोटकासिम

[26] राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-प्रतिवादीगण

[27] मातादीन पुत्र हरलाल

[28] शीशराम

[29] सुरेश पुत्रान तोरवराम जाति जाट निवासी कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- तर० अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं०धा० 212 राज० डी०रे० आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी०

उपस्थित :-

1. श्री आनन्द राव एड०. प्रार्थी/वादी/प्रार्थी
2. श्री मगवाना यादव एड०. अप्रार्थीगण

प्रार्थी ने अपने वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अं०धा० 212 राज० डी०रे० आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी० का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सावित ख० नं० 488/0-13, 489/2-07 492/0-16 बीघा के रामासिंह पुत्र गुरासिंह असल खातेदार काश्तकार था। यह आराजी दिनांक 6.6.69 को जरिये बयनामा प्रतिफल की राशी अदा कर प्रार्थी व तर० अप्रार्थीगण मातादीन, शीशराम, सुरेश के पिता ने खरीद की थी। वक्त खरीद से इस आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काश्त कर रहे हैं जो पुश्तामपुश्तात कुछ रिकार्ड पर बना रहे हैं। सम्वत 2029 में अधिकारी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त सावित खसरा नम्बरान का नाप जोख (अलवर) कायम करते समय कोई गलतियां की जिसमें सावित ख० नं०

लगातार

488 के दो नये ख.नं० 1049 में 0-07, 1050 में 0-06 बिस्वा शामिल किये जबकि ये 0-13 बिस्वा का रकबा ही बराबर होना चाहिये था। इसी प्रकार ख.नं. 489/2-07 के हाल ख.नं. 1050/1-07 व 1051/0-02 बिस्वा कर दिये जबकि इनका भी रकबा ही बराबर होना चाहिये था। इसी प्रकार शामिल ख.नं. 492/0-16 के हाल ख.नं. 1042/0-06, 1054/1-14, 1055/0-08 शामिल किया गया जबकि इनका भी रकबा ही बराबर होना चाहिये था। तीन ख.नं. का रकबा तीन नम्बरों में शामिल कर दिया। ख.नं. 1051 में शामिल रकबा अप्रार्थी सं. 18 लगायत 23 जो कि आज भी रिकार्ड में है। जबकि इनका व इनके पूर्व जमाबंदी सम्वत 2029 में खाता सं. 458 में नरसिंगा, शीतला पुत्र नानगू जाति चमार गैरखातेदार गलत रूप से दर्ज कर दिया। हाल ख.नं. 1055 रकबा 0-10 बिस्वा गैर मुमकिन कब्रिस्तान गलत रूप से दर्ज कर दिया व ख.नं. 1042 में शामिल ख.नं. 492 का 0-06 बिस्वा जमाबंदी सम्वत 2029 के खाता सं. 16 में बदलू पुत्र गोविन्दा के नाम का गलत अंकन कर दिया। भू-प्रबन्ध विभाग ने हकदार खातेदारों के नाम का अंकन गलत कर दिया। हाल ख.नं. 1049, 1050 व 1060 के मुताबिक हिस्से सही है। शेष ख.नं. 1054/1-14 में मि० प्रार्थी 1/3 अप्रार्थी 27, 1/3 व तर. अप्रार्थी 28 व 29, 1/3 हिस्सा पर व ख.नं. 1042, 1051, 1055 पर इसी अनुसार काबिज काश्त है। ख०नं. 1042 पर प्रतिवादीगण जबरन निर्माण कार्य करने के लिए दि. 8.1.12 को आये और मि० प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास किया यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाये तो अपूर्णीय हानि होगी। इसलिए प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण, अलग प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई स्थायी से पाबंद कराने के अधिकारी है।

प्रतिवाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7, 11, 12, 13, 15 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रतिवाद पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि हाल ख.नं. 1042/2-03 बीघा शामलात की अराजी खातेदार काश्तकार बलवन्ती, धर्म पाल, अंगरसिंह, नाहर राम कान्हाराम थे, जिस पर वो काबिज काश्त थे। राजस्व रिकार्ड में शामलात था।

PM

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार-

बलवन्त ने मिन अप्रार्थी सं.1 रोशनलाल से समस्त प्रतिफल की राशी प्राप्त कर मिन अप्रार्थी सं.1 को जरिये बयनामा दिनांक 16.11.09 को बेचान कर दिया। बक्त खरीद से ही मिन अप्रार्थी सं.1 काबिज रहा बेयनामा के आधार पर आराजी ख.नं. 1042/2-03 बीघा का इन्तकाल मिन अप्रार्थी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। अप्रार्थी सं.1 ने अपनी खातेदारी की आराजी ख.नं.1042 में से कुछ-2 हिस्सा जरिये बयनामा के अप्रार्थी सं. 2,3,5,6,7,11,12,13 व 15 को बेचान किया हुआ है। जिनका अमल राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। खरीददार रकबे में कुछ व्यक्तियों ने अपने हिस्से में मकानात बना रखे है। आ.ख. नं. 1042 में प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। जबकि ख.नं.1042 पर मिन अप्रार्थीगण का विधिक कब्जा है। इसलिए प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण उपरोक्त निर्देशानुसार से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं साविक ख.नं. से नये हाल ख.नं. में गलत हुये अंकन पर कहा कि बन्दोबस्त विभाग को कोई हक नहीं था कि साविक ख.नंबर के गलत टुकड़े करे। जबकि गत बन्दोबस्त के एक-एक ही नम्बर कायम करने चाहिये थे। सावक ख.नं. में रामसिंह पुत्र गुलाबसिंह अस्सल खातेदार काश्तकार था। जिससे प्रतिफल की राशी अदा कर प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6.6.69 को खरीद की थी। मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काश्त कर रहे है। कुछ हिस्से पर पक्के मकानात बना रखे है। बन्दोबस्त विभाग ने सावक ख.नं. टुकड़े कर कई गलतियाँ की जबकि एक-2 ही नम्बर कायम करना चाहिये था। इसलिए प्रार्थी व तर. अप्रार्थी को ख.नं. 1054/1-14, 1042 में 0-06 में से 1051 में 0-02 में से 1055 में 0-10 बिस्वा में से 1/3-1/3 हिस्से पर काबिज है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। इन सभी दस्तावेजात से तीनों बिन्दु साबित है। अतः प्रार्थना पत्र ता: फैसला बाद Absolute किया जावे।

अधिकारी
(बन्दोबस्त)

विद्वान अप्रार्थीगण अभिभाषक का कथन हाल ख.नं. 1042 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा पर ही बहस की। विद्वान वकील अप्रार्थीगण का

लगातार –

करता है कि आराजी खाता खसरा नं 1042/2-03 बीघा स्थित मालकियत की अप्रार्थी खातेदार काश्तकार बलवन्ती पत्नी कंवरसिंह जाति जाट निवासी [illegible] जिसको मिलकर अप्रार्थी सं. 1 ने भी खरीद किया बेचा गया दिनांक 18.11.2007 को रजिस्टर्ड किया। बाद खरीद से ही विक्रेता अप्रार्थी सं. 1 काबिज रहा। जिसका इन्द्राज गिर्दावरी अप्रार्थी सं. 1 के नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल हो रहा है। अ.प्रथम विवाद को सही अंकन किया है। ख.नं. 1042 की उत्तरी ओर पर करीब 25-30 साल पूर्व से ही मकान व बाड़ा निर्माण की हुई है। उक्त ख.नं. को प्रार्थिया जिसका कि उक्त नोहरानुमा [illegible] के कब्जे है। विवादित आराजी ख.नं. 1042 से प्रार्थी व सह-अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। विवादित ख.नं. 1042 में से कुछ हिस्से का बेचान हो चुका है जिसमें खरीददार के नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल हो रहा है। विवादित आराजी जिस अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा आराजी है जिसे प्रार्थी व सह-अप्रार्थीगण का हिस्सा नहीं निर्धारित हो सकता। प्रार्थी व सह-अप्रार्थीगण का ख.नं. 1042/2-03 बीघा से कोई लेना देना नहीं है। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसाई, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में सिद्ध नहीं होता इसलिए अपूर्णीय क्षति की सम्भावना भी साबित नहीं होती। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में R.R.T 2006-7 पेज 368, R.R.T 2006(2) पेज 1410 व R.R.T 2007(2) पेज 945 की नजीर पेश की।

विद्वान वकीलान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी व सह-अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत तनकीह ख.नं. पर पत्रावली में संकलित इकरार हिस्से पर ज्यादा जोर दिया लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने विवादित खाता ख.नं. 1042 पर ही बहस की। खाता ख.नं. 1042 की खाता जमाबंदी का अवलोकन किया जो बलवन्ती पत्नी कंवरसिंह जाट के नाम 2 बीघा 03 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। बलवन्ती से अप्रार्थी सं. 1 ने खरीद किया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल है। खाता ख.नं. 1042/2-03 पर (सम्पूर्ण पर) भी ना तो प्रार्थी व सह-अप्रार्थीगण का कब्जा सिद्ध है और ना ही सिद्ध कर पाने में सफल रहा है। प्रार्थी व सह अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी ख.नं. 1042 में 0-06 बिस्वा का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी

घोषित करवाने का वाद पेश किया है। जबकि विवादित रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा का है। प्रार्थी व तहसील अप्रार्थीगण ख.नं. 1042 बाबत प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय होने वाली क्षति सिद्ध नहीं कर पाये। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नजीर से हम सहमत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 R.T. Act. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)